# He Gazette of India

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] No. 279]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012 ∕ज्येष्ठ 25, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

# पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन संकथ)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 448(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के खंड 3(1)(ग)(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई तालिका के क्रम सं. 1-8 के सामने उल्लिखित पोत परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों को दिनांक 1-4-2012 से 31-3-2014 तक प्रत्येक अधिकारी के सामने दिए गए पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और इसे अधिसूचित करती है:—

#### तालिका

1.	कोलकाता पत्तन न्यास	विकास सलाहकार (पत्तन)
2	पारादीप पत्तन न्यास	निदेशक (आरएसएन)
, 3.	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	निदेशक (एसएम)
4.	चेन्नै पत्तन न्यास	संयुक्त सचिव (पत्तन)
5.	कोचीन पत्तन न्यास	निदेशक (जीजे)
6.	मुरगाँव पत्तन न्यास	निदेशक (एके)
	मुम्बई पत्तन न्यास	सलाहकार
8	कांडला पत्तन न्यास	उप सचिव (एसटी)

[फा. सं. एलबी-11013/11/2012-एलबी]

एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 448(E).—In exercise of the powers conferred by clause 3(1)(c)(7) of the Major Port Trusts Act, 1963 the Central Government hereby appoints the officials of Ministry of Shipping against serial number 1-8 on the Table below to be Trustees on the Board of Trustees of the Port mentioned against each official from 1-4-2012 to 31-3-2014 and notifies the same:—

#### **TABLE**

Kolkata Port Trust	Development Adviser (Ports)
2. Paradip Port Trust	Director (RSN)
3. Visakhapatnam Port Trust	Director (SM)
4. Chennai Port Trust	Joint Secretary (Ports)
5. Cochin Port Trust	Director (GJ)
6. Mormugao Port Trust	Director (AK)
7. Mumbai Port Trust	Adviser
8. Kandla Port Trust	Deputy Secretary (ST)

[F. No. LB-11013/11/2012-LB]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 449(अ).— दिनांक 16-5-2011 के सं सा.का.नि. 388(अ) का आंशिक आशोधन करते हुए और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के खंड 3(1)(ग)(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, 31-3-2013 तक की अविध के लिए वीओसीपीटी बोर्ड में पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु उप-सचिव (बीके) को नियुक्त करती है और इसे अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/11/2012-एलबी]

एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 449(E).—In partial modification of No. G.S.R. 388(E), dated the 16-5-2011 and in exercise of the powers conferred by clause 3(1)(c)(7) of the Major Port Trusts Act, 1963, the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (BK) for representing Ministry of Shipping in VOC Port Trust Board for the period upto 31-3-2013 and notifies the same.

[F. No. LB-11013/11/2012-LB]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 450(अ).—िदनांक 12-5-2011 के सं. सा.का.नि. 383(अ) का आंशिक आशोधन करते हुए और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के खंड 3(1)(ग)(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, 31-3-2013 तक की अविध के लिए नव मंगलूर पत्तन न्यास बोर्ड में पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु उप-सचिव (वीकेएस) को नियुक्त करती है और इसे अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/11/2012-एलबी]

एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 450(E).—In partial modification of No. G.S.R. 383(E), dated the 12-5-2011 and in exercise of the powers conferred by clause 3(1)(c)(7) of the Major Port Trusts Act, 1963, the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (VKS) for representing Ministry of Shipping in New Mangalore Port Trust Board for the period upto 31-3-2013 and notifies the same.

[F. No. LB-11013/11/2012-LB]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 451(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii)(4) के अंतर्गत यथा परिकल्पित "अन्य हित" (निर्वाचित श्रेणी) की श्रेणी में गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व के लिए श्री अतुल वी. जाधव, रतनज्योत, एफ/2 राघवी एस्टेट, इसोरसिम डाबोलिम, गोवा को मुरगांव पत्तन के नव पुनर्गठित न्यासी बोर्ड में 1-4-2012 से 31-3-2014 तक नियुक्त करती है और इसे अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/7/2012-एलबी]

एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 451(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints Shri Atul V. Jadhav, Ratanjyot, F/2 Ranghvi Estate, Issorsim Dabolim Goa, representing Goa Barge Owner's Association in the category of "Other Interest" (Elected Category) as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963 to represent on the newly re-constituted Board of Trustees of the Port of Mormugao from 1-4-2012 to 31-3-2014 and notifies the same.

[F. No. LB-11013/7/2012-LB]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 452(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में क्रम संख्या 1-5 में उल्लिखित व्यक्तियों को 1-4-2012 से 31-3-2014 तक मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है तथा इसे अधिसूचित करती है :—

## सारणी

श्री नैलेश वी. गांधी	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा
दी बॉम्बे कस्टम्स हाउस एजेंट्स	3(1)(ग)(ii)(4) <b>को अं</b> तर्गत यथा
एसोसिएशन, 73/74, मित्तल	परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
टावर, 'सी' विंग, 7वीं मंजिल	के रूप में बॉम्बे कस्टम्स हाउस
नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	एजेन्ट्स ।
	दी बॉम्बे कस्टम्स हाउस एजेंट्स एसोसिएशन, 73/74, मित्तल टावर, 'सी' विंग, 7वीं मंजिल

- 2. कैप्टन पीयूष पाल सिंह ः मैसर्स शान मेरीन सर्विसिस प्रा. लि., 7, क्म्था स्ट्रीट, बल्लार्ड ैं, एस्टेट, भुम्बई-400001 ।
- एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii)(4) के अंतर्गत यथा परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि के रूप में मुम्बई एंड न्हावा शेवा शिप एजेन्ट्स एसोसिएशन ।
- ऑल इंडिया लिक्विड बल्क इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसो-सिएशन, 501 मुल्स्ला, 334 कथा बाजार, मुम्बई-400009 ।
- 3. श्री जय्यान्नत लाप्सिया, प्रेसिडेंट एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(4) के अंतर्गत यथा परिकल्पित अन्य हित के प्रविनिधि के रूप में ऑल इंडिया लिक्विड बल्क इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ।
- 4. श्री अतुल जे. अग्रवाल प्रबंध निदेशक, मर्केटर लाइंस लिमिटेड, 31-38 मित्तल टावर, ं बी विंग, तुतीय तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400018
- एमपीटो अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(4) के अंतर्गत यथा परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि के रूप में इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) के प्रतिनिधि के रूप में मर्केटर लाइंस लिमिटेड ।
- 5. श्री अशोक बारत, वाइस-प्रेसिडेंट एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा एस्टेट, मुम्बई-400001 ।

बॉम्बे चैम्बर ऑफ कामर्स एंड 3(1)(ग)(i)(4) के अंतर्गत यथा इंडस्ट्री. मैकिनोन मैकेंजी बिल्डिंग, परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि 4-शुर्जी वल्लभदास मार्ग, बल्लार्ड के रूप में बॉम्बे चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री।

[फा. सं. एलबी-11013/5/2012-एलबी]

एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

GS.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-5 on the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Mumbai from 1-4-2012 to 31-3-2014 and notifies the same :-

#### TABLE

- I. Shri Nailesh V. Gandhi The Bombay Custom House Agent's Association, 73/74, Mittal Tower, 'C' Wing, 7th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021
- **Bombay Customs House** Agents Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
- 2. Capt. Piyush Pal Singh M/s. Shaan Marine Services Pvt. Ltd., 7, Kumtha Street, Ballard Estate, Mumbai-400001.
- Mumbai and Nhava Sheva Ship Agents Association Representing Other Interest as envisaged under section 3(1) (c) (ii) (4) of MPT Act, 1963.

- 3. Shri Jayyannt Lapsiaa President All India Liquid Bulk Importers & Exporters Association. 501 Mulratna, 334 Katha Bazar, Mumbai-400009.
- 4. Shri Atul J. Agarwal Managing Director, Mercator Lines Ltd., 31-38 Mittal Tower, 'B' Wing, 3rd Floor, Nariman Point, Mumbai-400018
- 5. Shri Ashok Barat Vice President Bombay Chamber of Commerce & Industry, Mekinon Mekainji Building, 4-Shoorji Vallabhadass Marg, Ballard. Estate, Mumbai-400001.

All India Liquid Bulk Importers and Exporters Association Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.

Mercator Lines Limited Representing Indian National Shipowners Association (INSA), Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(4) of MPT Act, 1963.

Bombay Chamber of Commerce and Industry, Representing Other Interest as envasaged under section 3(1)(c)(i)(4)of MPT Act, 1963.

[F. No. LB-11013/5/2012-LB]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 453(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पोत परिवहन मंत्रालय, पत्तन स्कंध के दिनांक 28 मई 2012 के सं. सा.का.नि. 389(अ) के भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में सारणी के क्रम सं. 5 में भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि के रूप में 'मुख्य माल भाडा परिवहन प्रबंधक/ई ओ आर' को 'मुख्य माल भाड़ा प्रबंधक/ई आर' के रूप में और क्रम सं. 6 पर 'कर्मांडर, तट रक्षक जिला मुख्यालय, हल्दिया' को चीफ 'ऑफ स्टॉक, तट रक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तर-पूर्व) के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2012-एलबी]

एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the I5th June, 2012

G.S.R. 453(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes an amendment in the Gazette Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Ports Wing, No. GS.R. 389(E), dated the 28th May, 2012.

2. In the said Notification in Table at Sl. No. 5 'Chief Freight Transport Manager/EOR' may be substituted as 'Chief Freight Transport Manager/ER' representing Ministry of Railways and at Sl. No. 6 'Commander, Coast Guard District Headquarters, Haldia' may be substituted as 'Chief of Staff of Coast Guard Regional Headquarters (North-East)'.

[F. No. LB-11013/1/2012-LB] N. MURUGANANDAM, Jt. Secy. अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 454(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका को क्रम सं. 1-3 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को 1-4-2012 से 31-3-2014 तक कोलकाता पत्तन के लिए न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और इसे अधिसुचित करती है :—

## तालिका

- मुख्य मालभाडा परिवहन प्रबंधक, भारतीय रेल के प्रतिनिधि दक्षिण पूर्वी रेलवे
- कमाडोर ब्रियान एन्टोनी थॉमस रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधि एन ओ आई सी (पश्चिम बंगाल-कोलकाता)

 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ पश्चिम बंगाल सरकार के सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग प्रतिनिधि।

[फा. सं. एलबी-11013/3/2012-एलबी]

एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-3 on the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Kolkata from 1-4-2012 to 31-3-2014 and notifies the same:—

## **TABLE**

- I. Chief Freight Transportation Representing Indian Manager, South Eastern Railways Railways
- Commodore Brian Antony Representing Defence Thomas NOIC (West Bengal-Services Kolkata)
- 3. Additional Chief Secretary/
  Principal Secretary/Secretary,
  Commerce and Industries
  Department

  Representing Government of West Bengal.

[F, No. LB-11013/3/2012-LB] N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.